



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179556

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8145 वर्ष 2026

आसिफ और अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आदर्श कुमार सिंह, अंकित तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 87 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(3), 118(1) बी.एन.एस., थाना- फलावदा, जनपद- मेरठ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में आवेदकों को झूठा नामजद किया गया है। सह-अभियुक्त अमन और आयाम को विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। घायल को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसे प्रकृति में गंभीर या जीवन के लिए खतरनाक माना जा सके। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदकों को पांच अन्य अभियुक्तों तथा आठ से दस अज्ञात व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक संख्या 2 का चार मामलों का आपराधिक इतिहास है और बार-बार अपराध करने वाला होने के कारण उसे जमानत प्रदान किए जाने के योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

5. इसके प्रत्युत्तर में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दो मामलों में आवेदक संख्या 2 घटना में संलिप्त नहीं पाया गया, क्योंकि मुकदमा अपराध संख्या 25 सन् 2006 में उसे दोषमुक्त कर दिया गया था तथा मुकदमा अपराध संख्या 170 सन् 2016 में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अन्य दो मामलों, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 113 सन् 2025 तथा 115 सन् 2025 में, आवेदक को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा क्रमशः **आपराधिक विविध**



रिट याचिका संख्या 12541 सन् 2025 तथा 12544 सन् 2025 में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. कहा गया है कि छह नामजद अभियुक्तों तथा आठ से दस अज्ञात व्यक्तियों ने घायल पर हमला किया। घायल को केवल पांच दृश्यमान चोटें आई हैं। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। सह-अभियुक्त अमन और आयाम को विद्वान सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। एकमात्र घायल को आई चोटों की संख्या तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों की संख्या को देखते हुए, अत्यधिक नामजद अथवा झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

8. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. आवेदकगण **आसिफ और शौकीन** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रत्येक प्रस्तुत करेंगे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाएं;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के उद्देश्य से की गई हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

25 अगस्त, 2026

सचिन